

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प.19(16)शिक्षा-2/2019 पार्ट दिनांक: 27.01.2022 की पालना में निम्नांकित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित विभिन्न राजकीय सार्वजनिक जिला पुस्तकालयों में "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत एक वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर लगाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है-

क्र.स.	नाम अधिकारी / कार्मिक	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन स्थान
1	श्री मांगीलाल आर्य	पुस्तकालयाध्यक्ष	राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, केशवाना, जालौर	राजकीय सार्वजनिक जिला पुस्तकालय, जालौर
2	श्री मियालराम जाखड़	पुस्तकालयाध्यक्ष	राउमावि, तेवडी, नागौर	राजकीय सार्वजनिक जिला पुस्तकालय, नागौर

संबंधित नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल संबंधित कार्मिक को प्रतिनियुक्ति स्थान हेतु कार्यमुक्त कर पालना से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।



(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-3/13406/प्रतिनियुक्ति विविध/2021/37 दिनांक: 21 FEB 2022
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), पाली/अजमेर संभाग।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, जालौर/नागौर।
5. सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत।
6. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर